No. A-45013/02/2018-CHS-V-Part(1) [FTS 3206281]

Government of India
Ministry of Health & Family Welfare
(CHS Division)
****

Nirman Bhawan, New Delhi 110 011
Dated, the 27th May, 2019

To,

i. All Ministries of the Government of India (including Ministry of Railways and Defence)
ii. All State Governments/Administration of Union Territories.
iii. All Statutory Bodies/Autonomous Bodies/Semi Government Organizations/Universities/Recognized Research Institutions under the Central Government/State Government/Government of Nation Capital Territory of Delhi.

Subject: - Filling up of two posts of Medical Officer in the GDMO Sub-cadre of Central Health Service on deputation basis at CGHS, Srinagar - regarding.

Sir/Madam,

The Ministry of Health & Family Welfare has decided to appoint two Medical Officer in GDMO sub-cadre of Central Health Service **on deputation** from amongst the officers holding analogous posts under Central Government (including Ministries of Railways and Defence) or State Governments or Union Territories, suitable officers holding analogous posts under the statutory bodies, autonomous bodies, semi-government organization, Universities or recognized Research institutions under Central/State Governments.

2. Officers holding analogous posts on regular basis, having requisite qualification and experience and having completed their period of probation in the parent organization can apply for appointment on deputation to CHS indicating the name of the post and sub cadre, through proper channel. All the officers who are presently working on ad-hoc deputation basis in Central Health Service (CHS) may also apply. The details of post, Pay Matrix of posts, qualification and experience required for the posts is indicated Annexure-I.

The details of post, Pay Matrix of posts qualification etc. may also be seen in the Ministry's website – "https://mohfw.gov.in/about-us/departments/departments-health-and-family-welfare/chs" (best viewed in chrome browser).

Head BIC
Pl. to upload

3. The officers selected for appointment on deputation to CHS may elect to draw either the Pay in the Level prescribed in the Pay Matrix of deputation post or his/her basic pay in the parent cadre plus Deputation (duty) Allowance thereon plus personal pay, if any. The period of deputation will be governed by CHS Rules, 2014 as amended from time to time. However, the Ministry can end the term of deputation unilaterally if the regular recruitment takes place or if the policy gets changed due to any reason(s). The terms of deputation will be governed by standard terms of deputation as prescribed by the Government of India from time to time.

4. Application in the prescribed proforma (**Annexure II**) may be forwarded to **The Under Secretary (CHS-V), Room No. 752, A-Wing, Ministry of Health & Family Welfare, Nirman Bhawan, New Delhi 110 011** within forty-five days of the date of publication of the INDICATIVE ADVERTISEMENT IN THE EMPLOYMENT NEWS. All

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद
INDIAN COUNCIL OF MEDICAL RESEARCH
V. RAMALINGESWAMI BHAWAN
01 JUL 2019
डायरी संख्या / Diary No.
अंसारी नगर, नई दिल्ली-110029
Ansari Nagar, New Delhi -110029

584575

Sarita Nair

applications should reach this Ministry through proper channel. **Advance copy of the application will not be entertained.**

5. While forwarding the application, the following documents may also be sent to this Ministry along with the application: -

i. A certificate to the effect that State Government/Union Territory or the Parent Department/Organization has **"NO OBJECTION"** to the appointment of the officer concerned under CHS on deputation.

ii. Attested copies of the ACRs/APARs of the applicant of last five years. (Each page of the ACRs/APARs may attested.)

iii. A Certificate about the Integrity of the officer recommended for appointment on deputation under CHS.

iv. Vigilance Clearance in respect of applicant duly signed by an officer of the appropriate status.

v. Certificate of major/minor penalty imposed, if any, on the officer during the last ten years/entire service period, whichever is less.

Incomplete application(s) or applications received without above-mentioned documents are liable to be summarily rejected.

7. Eligible officers, whose spouse are working in Central Government or State Government or Union Territories and have been transferred or are working at a place where CHS posts exists, can also apply for deputation.

Yours faithfully,

Encl: As Above.

Sarita Nair

(Sarita Nair)
Under Secretary to the Govt. of India
Tel # 2306 3068

Copy to:-

1. The Senior Director (Tech), NIC, Ministry of Health & Family Welfare (It is requested to host the vacancy circular on the website of this Ministry under CHS.
2. All the Ministries as per the list attached.

ANNEXURE –I

General Duty Medical Officer (GDMO)

Name and Pay Matrix of the posts.

i. Medical Officer (MO) Level 10 of Pay Matrix Rs. 56100-177500/-

Qualification and Experience

a) **For Deputation:** Officers holding analogous posts under Central Government (including Ministries of Railways and Defence) or State Governments or Union Territories on regular basis and having completed period of probation satisfactorily.

b) Candidate should also possess a recognized MBBS degree qualification included in the First or Second Schedule or Part II of the third Schedule (other than licentiate qualification) to the Indian Medical Council Act 1956. Holder of educational qualifications included in Part II of the Third Schedule should also fulfil the conditions stipulated in sub section (3) of Section 13 of the Indian Medical Council Act, 1956. (102 of 1956) in case of appointment as medical Officer [Level 10 of Pay Matrix Rs. 56100-177500/-]

Details of posts proposed to be filled

S. No.	Name of the Post	Station	No. of Posts
1.	MEDICAL OFFICER	CGHS, SRINAGAR	02
		TOTAL	**02**

****

Sarita Nair

ANNEXURE-II

PROFORMA

1. Name of the Post applied for :
2. Name and present Designation :
3. Date of initial appointment with Pay Level in the Pay Matrix :
4. Present Level of Pay in the Pay Matrix :
5. Full address in Block letters :

6. Date of Birth (in Christian Era) :
7. Date of Retirement under Central/State Govt. Rules :
8. Educational Qualification. :
9. Whether educational and other qualifications required for the post are satisfied. (if any qualification has been treated as equivalent to the one prescribed in the rules, state the authority for the same) :

	Qualifications/. Experienced required	Qualification/Experience possessed by the Officer
Essential (1)		
(2)		
(3)		
Desired (1)		
(2)		

10. Please state clearly whether in the light of entries made by you above meet the requirement of the post :
11. Details of employment, in chronological order. Enclose a separate sheet, if the space below is insufficient, duly authenticated by your signature and Verified by employer :

Office/Instt./origin.	Post held	From	To	Scale of Pay and basic Pay	Nature of duties

12. Nature of present employment, i.e. *ad-hoc* or temporary or Permanent :
13. Whether probation period completed satisfactorily :

14. In case the present employment is held on deputation/contract basis, please state :

   a) The date of initial appointment :
   b) Period of appointment on deputation/contract :
   c) Name of the Parent office/organisation to which you belong to :

15. Additional details about present employment :
   Please state whether working under
   a) Central Government
   b) State Government
   c) Autonomous Organizations
   d) Government Undertakings
   e) Universities
16. Please specify whether remained on deputation to any State Government or Central Government :
17. Please specify whether unauthorized absence, EOL, or Leave not Due (LND)taken earlier :
18. Are you in Revised Scale of Pay? If yes, give the date from which the revision took place and also indicate the pre-revised scale :
19. Total emoluments per month now drawn (indicating Pay Band, Band Pay and Grade Pay separately) :
20. Additional information, if any, which you would like to mention in support of your suitability for the post. Enclose a separate sheet, if the space is insufficient and got verified by employer :
21. Whether belong to SC/ST/OBC :
22. Remarks :

Signature of the Candidate
Address................................
....
....

Date

Counter signature of the Employer

सं.ए.45013/02/2018-सीएचएस.V-भाग (1) [एफटीएस 3206281]
भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
(सीएचएस प्रभाग)

निर्माण भवन, नई दिल्ली 110011
दिनांकः 21 मई, 2019

सेवा में,

i. भारत सरकार के सभी मंत्रालय (रेल मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय सहित)
ii. सभी राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन।
iii. केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अंतर्गत सभी सांविधिक निकाय/स्वायत्त निकाय/अर्ध सरकारी संगठन/विश्वविद्यालय/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान।

विषयः प्रतिनियुक्ति आधार पर केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के जीडीएमओ उप-संवर्ग में सीजीएचएस, श्रीनगर में चिकित्सा अधिकारी के दो पदों को भरने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने केन्द्र सरकार (रेल और रक्षा मंत्रालय सहित) अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों के तहत सदृश पदों को धारण करने वाले अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति आधार पर तथा केन्द्र/राज्य सरकारों के तहत सांविधिक निकायों, स्वायत्त निकायों, अर्ध सरकारी संगठनों, विश्वविद्यालयों अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों में सदृश पदों को धारण करने वाले उपयुक्त अधिकारियों से केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा शिक्षण उप-संवर्ग में सीजीएचएस, श्रीनगर में दो चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्त करने का निर्णय लिया है।

2. नियमित आधार पर सदृश पदों को धारण करने वाले, अपेक्षित योग्यता और अनुभव रखने वाले तथा मूल संगठन में परिवीक्षा की अपनी अवधि पूरी करने वाले अधिकारी उचित माध्यम से पद और उपसंवर्ग के नाम का उल्लेख करते हुए सीएचएस को प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। सभी अधिकारी जो वर्तमान में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा (सीएचएस) में तदर्थ प्रतिनियुक्ति आधार पर कार्य कर रहें हैं वे भी आवेदन कर सकते हैं। पद, पद के वेतनमान, अपेक्षित योग्यता और अनुभव का ब्यौरा अनुलग्नक-I पर दिया गया है।

पद, पद के वेतनमान, योग्यता आदि से संबंधित विवरण मंत्रालय की वेबसाइट https://mohfw.gov.in/about-us/departments/departments-health-and-family-welfare/chs पर भी देखा जा सकता है (क्रोम ब्राउजर में बेहतर दिखता है)।

3. सीएचएस में प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के लिए चयनित अधिकारी प्रतिनियुक्ति के पद के वेतनमान में निर्धारित स्तर का वेतन अथवा मूल संवर्ग में अपना मूल वेतन और प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता और उस पर व्यक्तिगत वेतन, यदि कोई है, आहरित कर सकता है। प्रतिनियुक्ति की अवधि समय-समय पर यथासंशोधित सीएचएस नियमावली, 2014 द्वारा शासित होगी। तथापि, नियमित भर्ती होने के मामले में अथवा किसी कारण वश नीति में परिवर्तन होने पर मंत्रालय अपनी तरफ से प्रतिनियुक्ति की अवधि समाप्त कर सकता है। प्रतिनियुक्ति की शर्तें समय-समय पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिनियुक्ति की मानक शर्तों द्वारा शासित होंगी।

4. **अनुलग्नक-I** में उल्लिखित पदों पर प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति हेतु विचार के लिए,निर्धारित प्रपत्र (**अनुलग्नक-II**) में <u>आवेदनों को रोज़गार समाचार में सूचक विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख से 45 दिनों के भीतर</u> **अवर सचिव (सीएचएस V), कमरा सं. 752, 'ए' विंग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली**-110011 को भेजा जा सकता है। इस मंत्रालय को सभी आवेदन उचित माध्यम से भेजे जाने चाहिए। **आवेदन की अग्रिम प्रति पर विचार नहीं किया जाएगा।**

5. आवेदन को अग्रेषित करने के साथ-साथ इस मंत्रालय को निम्नलिखित दस्तावेज भी प्रेषित करें:

(i) राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र अथवा मूल विभाग संगठन से, प्रतिनियुक्ति आधार पर सीएचएस में संबंधित अधिकारी की नियुक्ति से संबंधित "अनापत्ति प्रमाण पत्र"।
(ii) आवेदक की पिछले 5 वर्षों की एसीआर/एपीएआर की अभिप्रमाणित प्रतियां।
(iii) सीएचएस के अंतर्गत प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के लिए संस्तुत अधिकारी की सत्यनिष्ठा के संबंध में प्रमाण पत्र।
(iv) आवेदक के संबंध में उपयुक्त स्तर के अधिकारी द्वारा यथा हस्ताक्षरित सतर्कता निकासी।
(v) पिछले 10 वर्षों/पूरे सेवाकाल, जो भी कम हो, के दौरान अधिकारी पर लगाई गई बड़ी/छोटी शास्ति, यदि कोई है से संबंधित प्रमाण पत्र।

अपूर्ण आवेदनों अथवा ऊपर उल्लिखित दस्तावेजों के बिना प्राप्त आवेदनों को रद्द कर दिया जाएगा।

7. वे पात्र अधिकारी जिनके पति या पत्नी केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र में कार्य कर रहें/रहीं हो और उनका स्थानांतरण अथवा कार्यस्थल वहां हुआ हो जहां सीएचएस पद मौजूद हो , वे भी प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं।
संलग्नकः यथोपरि

भवदीया,

सरिता नायर

(सरिता नायर)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाषः 23063068

प्रतिलिपि :-

1. वरिष्ठ निदेशक (तक.), एनआईसी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (सीएचएस के तहत इस मंत्रालय की वेबसाइट पर रिक्ति परिपत्र को डाले जाने के लिए अनुरोध किया जाता है।
2. संलग्न सूची के अनुसार सभी मंत्रालय

अनुलग्नक-I

जनरल ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी (जीडीएमओ)

पदनाम व वेतनमान

i. चिकित्सा अधिकारी (एमओ) वेतनमान का लेवल 10 : 56100-177500 रू./-

योग्यता और अनुभवः

(क) प्रतिनियुक्ति आधार पर : केन्द्र सरकार (रेल और रक्षा मंत्रालय सहित) अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों के तहत नियमित आधार पर सदृश पदों को धारण करने वाले तथा संतोषजनक ढंग से अपनी परिवीक्षा अवधि पूरा करने वाले अधिकारी।

(ख) अल्पावधि संविदा द्वारा : केन्द्र/राज्य सरकारों के तहत सांविधिक निकाय, स्वायत्त निकाय, अंर्ध सरकारी संगठन, विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों में नियमित आधार पर सदृश पदों को धारण करने वाले तथा संतोषजनक ढंग से अपनी परिवीक्षा अवधि पूरा करने वाले अधिकारी। अभ्यर्थी के पास भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 की पहली अथवा दूसरी अनुसूची अथवा तीसरी अनुसूची (लाइसेंसिएट योग्यता को छोड़कर) के भाग-II में शामिल मान्यता प्राप्त एमबीबीएस डिग्री की योग्यता भी होनी चाहिए। तृतीय अनुसूची के भाग-II में शामिल शैक्षिक योग्यता को धारण करने वाले अभ्यर्थियों को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, 1956 (1956 का 102) की धारा 13 की उप-धारा (3) में निर्धारित शर्तों को भी पूरा करना होगा।

भरे जाने वाले पद का ब्यौरा:

क्र.सं.	पदनाम	स्टेशन	पदों की संख्या
1.	चिकित्सा अधिकारी	सीजीएचएस, श्रीनगर	02
	कुल		02

अनुलग्नक-II

प्रोफार्मा

1	आवेदित पद का नाम	:
2	नाम और वर्तमान पदनाम	:
3	आरंभिक नियुक्ति की तिथि, वेतनमान के साथ	:
4	वर्तमान वेतनमान	:
5	पूरा पता (साफ अक्षरों में)	:
6	जन्म तिथि (ईस्वी सन् में)	:
7	केन्द्र/राज्य सरकार के नियमों के तहत सेवानिवृत्ति की तिथि	:
8	शैक्षिक अर्हताएं	:

9 क्या पद के लिए, शैक्षिक और अन्य अर्हताएं पूरी की गई हैं (क्या किसी अर्हता के नियमों में निर्धारित किसी योग्यता को समकक्ष माना गया है, इसके लिए प्राधिकारी उल्लेख करें)

		अपेक्षित अर्हताएं/अनुभव	:	अधिकारी द्वारा धारित अर्हताएं/अनुभव
अनिवार्य	(1)			
	(2)			
	(3)			
वांछित	(1)			
	(2)			

10 कृपया बताएं कि ऊपर आपके द्वारा दी गई प्रविष्टियों के आलोक में क्या आप पद की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं: :

11 नियुक्तियों का क्रमानुसार ब्यौरा। यदि नीचे दिया गया स्थान अपर्याप्त हो तो कृपया अपने हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणीकृत तथा नियोक्ता द्वारा सत्यापित एक अलग कागज पर संलग्न करें।

कार्यालय/संस्थान/संगठन	धारित पद	किस तिथि से	किस तिथि तक	वेतनमान और मूल वेतन	कार्य का स्वरूप

12 वर्तमान नियुक्ति का स्वरूप, अर्थात तदर्थ या अस्थायी अथवा स्थायी :

13 क्या परिवीक्षा की अवधि संतोषजनक रूप से समाप्त हो गई है :

14 वर्तमान नियुक्ति तदर्थ/संविदा आधार पर होने की दशा में, कृपया बताएं: :

(क) आरंभिक नियुक्ति की तिथि :

(ख) प्रतिनियुक्ति/संविदा पर नियुक्ति की अवधि :

(ग) मुख्य कार्यालय/संगठन का नाम, जहां से आप संबंधित है :

15 वर्तमान नियुक्ति के बारे में अतिरिक्त विवरण, कृपया बताएं कि आप किसके अंतर्गत कार्य करते हैं:- :

(क) केन्द्रीय सरकार

(ख) राज्य सरकार

(ग) स्वात्तयं निकाय

(घ) सरकारी उपक्रम

(ङ) विश्वविद्यालय

16 कृपया बताएं कि पहले किसी राज्य सरकार में प्रतिनियुक्ति पर थे या केन्द्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर थे :

17 कृपया बताएं कि आप कभी अनधिकृत अवकाश, असाधारण छुट्टी या अदेय छुट्टी (लीव नॉट ड्यू) पर रहे हैं: :

18 क्या आप संशोधित वेतनमान में हैं? यदि हां, तो संशोधन की तिथि बताएं तथा पूर्व-संशोधित वेतनमान भी दर्शाएं :

19 अभी आहरित प्रतिमाह कुल परिलब्धियों (वेतन बैंड, बैंड वेतन और ग्रेड वेतन पृथक रूप से बताएं) :

20 अतिरिक्त सूचना, यदि कोई हो तो, जिसे आप पद की उपयुक्तता के लिए देना चाहते हों। यदि स्थान अपर्याप्त हो तो नियोक्ता द्वारा सत्यापित एक अलग कागज संलग्न करें। :

21 क्या आप अनु.जाति/अनुसूचित जनजाति/अ.पि.वर्ग से संबंधित हैं। :

22 अभ्युक्तियां

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

पता-------------------

दिनांक -----------------------

प्रतिहस्ताक्षरित-------------------------

(नियोक्ता)